

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(2) आरडी/नरेगा/अ.विशुनोई/2008-09

जयपुर, दिनांक:-

1 3 JUL 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
उदयपुर, राजस्थान।

विषय:- अमृता देवी विशुनोई योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाली महिलाओं को घाघरा लूगड़ी देने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ 17(1)जिप./ग्राविप्र/नरेगा/09-10/2183 दिनांक 03.07.09

महोदय,

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उदयपुर के प्रासंगिक पत्र के क्रम लेख है कि विभाग द्वारा अमृता देवी विशुनोई योजनान्तर्गत एकल महिला द्वारा 100 दिवस पूर्ण करने पर रु. 250/- के सममूल्य की घाघरा-ओढ़नी दिये जाने बाबत राशि आपको हस्तान्तरित की जा चुकी है।

कृपया योजना के प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त (उदयपुर को छोड़कर), राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस